


09.05.2025:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा अपना मूल वाद पत्र डिकी हो गया। प्रार्थी का मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.07.2023 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर है।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

